

चेनाराम बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार पीपाड़शहर)

नं० व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

सू.अ.अ. अपील संख्या 201/2020

25.11.20

अपीलार्थी चेनाराम पुत्र जगदीशराम जाट, पता जाटों का बास, ग्राम जवासीया तहसील पीपाड़शहर जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 26.08.2020 में उसके द्वारा (1) भंवरलाल जागिड़ पुत्र नारायणराम ग्राम जवासीया के पिता का स्वर्गवास सेवाकाल में रहते हुए दिनांक 22.01.1982 को हो जाने पर नियुक्ति दिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था उस दौरान व दिनांक 20.11.1990 को कार्यभार ग्रहण के दौरान प्रथमा परीक्षा उत्तीर्ण व सैकण्डरी परीक्षा अनुत्तीर्ण कलक्टर जोधपुर द्वारा प्रथम नियुक्ति क्रमांक 90/6744 दिनांक 06.11.1990 में दर्शाया गया उक्त दोनों परीक्षाओं की अंकतालिका व स्थानान्तरण प्रमाण पत्रों की सत्य प्रतिलिपि व अन्य बिन्दु, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार पीपाड़शहर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों.पक्ष (तहसीलदार पीपाड़शहर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पों.पक्ष (तहसीलदार पीपाड़शहर) से आदिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार पीपाड़शहर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।

